न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास राजेश कुमार मीणा, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: 38/2016/दावा

रामेश्वर लाल पुत्र रामदेवा जाति अहीर निवासी अहिर का बास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज.)

– वादी

बनाम

1. बनवारी पुत्र रामदेवा जाति अहीर निवासी ग्राम अहीर का बास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
2. उप–पंजियक, दांतारामगढ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
3. तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत बटंवारा, उद्घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा व इन्द्राज दूरस्ती

उपस्थिति–

1. श्री नन्दलाल धायल व रतनलाल पलसानियां वकील वादी की ओर सें।
2. श्री भवानीसिंह शेखावत वकील प्रतिवादी संख्या 1 की ओर सें।
3. प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

दिनांक – 05.07.2022

निर्णय

1. वादपत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी संख्या एक के संयुक्त खाते, कब्जे की कृषि भूमियॉ ख.नं. 36, 242, 396, 403, 404 किता 5 कुल रकबा 10.92 हैक्टर वाके ग्राम अहीर का बास पटवार हल्का रामगढ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में स्थित है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमियों में 1/2 हिस्सा वादी का तथा शेष 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या एक बनवारी का है। उक्त वर्णित कृषि भूमियॉ मौके पर अविभाजित संयुक्त काश्त की है एवं मौके पर बाहमी बटंवारा वादी व प्रतिवादी संख्या एक के मध्य वर्षो पूर्व से हो रखा है परन्तु वाद वर्णित कृषि भूमियॉ संयुक्त काश्त की होने एवं संयुक्त खातेदारी दर्ज होने से प्रतिवादी संख्या एक की सहमति से उसकी फुट स्टेप पर वर्तमान में वादी ने काफी खर्चा लगाकर अपने बाहमी बटंवारे के हिस्से की भूमि को काश्त योग्य तैयार किया है तथा मौके पर शांतिपूर्वक सम्पूर्ण कृषि भूमियों पर अलग–अलग वादी व प्रतिवादी संख्या एक काश्त काबिज है। अब प्रतिवादी संख्या एक भू–माफिया प्रवृति के अजनबी व्यक्यिों के चंगुल एवं प्रभाव में आ चुका है। उक्त प्रतिवादी संख्या एक आज से 5–7 रोज पूर्व तीन–चार अजनबी व्यक्तियों को साथ लेकर एक गाडी में सवार होकर वादी के आवासीय मकानों एवं इस भूमि पर आया तथा वादी को धमकी दी कि मैने तुम्हारे कब्जे, काश्त वाली वाद वर्णित कृषि भूमियों को विक्रय

उपखण्ड अधिकारी दातारामगढ

करने का निश्चय किया है तुम उक्त वर्णित कृषि भूमियों में से मेरे नाम दर्ज भूमि स्वत: खाली कर दो अन्यथा मुझे जबरन लाठी के बल पर व प्रशासनिक पहुँच के आधार पर विशिष्ट भू–भाग पर कब्जा करना भी आता है। तब वादी ने उक्त भूमियों का विधिवत बटंवारा करवा लेने का आग्रह किया तो प्रतिवादी संख्या एक विधिवत बटंवारा करवाने से बिल्कुल इन्कार हो गया। प्रतिवादी की उक्त धमकी से वादी को वाद कारण उत्पन्न होने पर दावा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। अन्त में वादी ने वाद वादीगण विरुद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर विवादास्पद सामलाती भूमियॉ ख.नं. 36, 242, 396, 403, 404 किता 5 कुल रकबा 10.92 हैक्टर वाके ग्राम अहीर का बास पटवार हल्का रामगढ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर का पक्षकारान के मध्य विधिवत ''बाई मीटस एण्ड बाउण्डस'' बटंवारा किया जाकर वादी को उसके 1/2 हक व हिस्से का अलग से काबिज खातेदार/काश्तकार उदघोषित किया जाकर अलग–अलग सींव–नींव व लगान निर्धारित कर तदनुसार रास्ता कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में रिकार्ड संशोधन किया जाने का अनुतोष चाहा गया।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 3 की तामील होने के बावजुद अनुपस्थित रहने पर इनके विरुद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। न्यायालय द्वारा दिनांक 27/02/2017 को वाद में वकील वादी की सहमति से प्राथमिक डिक्री जारी की गयी। प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार दांतारामगढ से बंटवारा प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस प्राप्त हुआ।

3. प्रतिवादीगण सं. 1 की ओर से वकील श्री भवानीसिंह शेखावत ने आवेदन आदेश 9 नियम 7 व आदेश 9 नियम 13 व धारा 151 सीपीसी पेश कर कथन किया कि न्यायालय द्वारा जारी नोटिस प्रतिवादी बनवारी को नही मिला है तथा वादी ने तामिल कुलिन्दा से मिलकर साजिशपूर्वक इन्कारी बाबत् रिपोर्ट करवाकर चस्पानगी से तामिल करवाई है जो गलत है तथा प्रतिवादी को बिना सुने प्राथमिक डिकी जाारी कि गयी है इसलिए प्रतिवादी के विरूद्ध की गयी एकपक्षीय कार्यवाही मनसुख की जाकर न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिकि दिनांक 27.02.2017 को अपास्त कर प्रतिवादी को सुनवाई का कृपापूर्ण आदेश प्रदान करने की कृपा करें। पत्रावली पर उपलब्ध नोटिस का अवलोकन किया गया नोटिस के अवलोकन से प्रकट है कि प्रतिवादी द्वारा घर पर मौजुद मिलने के बावजूद नोटिस लेने से इनकार किया तथा तामिल कुलिन्दा द्वारा स्वतन्त्र दो मौतविरान की उपस्थिति में प्रतिवादी के खुले मकान पर नोटिस चस्पा किया जाना साबित है। नोटिस पर जिन दो स्वतन्त्र मौतविरान बाबुलाल पुत्र रामेश्वर व नारायण पुत्र रामदेव के हस्ताक्षर बाबत एवं चस्पानगी के समय मौके पर उनकी उपस्थिति बाबत अपने आवेदन में कोई आपति प्रकट नहीं कि है तथा न ही तामिल कुलिन्दा व उक्त मौत विरान को न्यायालय में तलब करवाने के लिए आवेदन पेश किया है। न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की तामिल प्रतिवादी पर सम्यक रूप से होना साबित है। प्रतिवादी के दिनांक 29.04.

उपखण्ड अधिकारी दातारामगढ

2016 को अनुपस्थित रहने पर न्यायालय द्वारा दिनांक 27.02.2017 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी है तत्पश्चात प्राथमिक डिक्रि जारी कि गयी है। प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार दांतारामगढ द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ जिस वकील प्रतिवादी द्वारा विधिक आपति प्रस्तुत कर प्रकरण की आगामी कार्यवाही में भाग लेकर अपना पक्ष न्यायालय में रखा है। इसलिए प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत आदेश 9 नियम 7 एवं आदेश 9 नियम 13 सीपीसी अस्वीकार कर खारीज किया जाता है तथा न्यायहित में प्रकरण की आगे की प्रकिया में अपना पक्ष रखने की अनुमति प्रतिवादी को दी जाती है। वकील प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव पर पेश कि गयी विधिक आपति कि बहस भी आदेश 9 नियम 7 एवं आदेश 9 नियम 13 सीपीसी के साथ ही कि गयी है। वकील प्रतिवादी द्वारा विधिक आपति में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि प्रतिवादी को बिना सुचना एवं बिना अवसर दिये ही प्राथमिक डिक्री जारी कि गयी है तथा भू0अ0नि0 रामगढ प्रतिवादी द्वारा मौके पर आपत्ति एवं एतराज प्रस्तुत करने के बावजूद भी वादी से मिलकर गलत बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया है। वादाधीन कृषि आराजियात पैतृक कृषि भूमिया है जो वादी एवं प्रतिवादी के पिता रामदेव के विरासत में मिली है ऐसी स्थिति में वादी एवं प्रतिवादी को विवादित कृषि भूमि में सें अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी भूमि वादी एवं प्रतिवादी को बंटवारा प्रस्ताव में दी जाने चाहिए थी जो नहीं दी गयी है तथा माननीय न्यायालय में प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत एक अन्य दावा बउनवानी बनवारी लाल बनाम रामेश्वर लम्बित है जिसमें मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति के आदेश हो रखे है इसलिए प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव खारीज किया जाकर पुनः बंटवारा प्रस्ताव मंगवाया जाना प्रार्थनीय है। वकील वादी द्वारा बंटवारा प्रस्ताव पर पेश विधिक आपति का जबाब प्रस्तुत कर बहस में तर्क दिया कि वादाधीन भूमियों को वाद एवं प्रतिवादी के मध्य आपसी सहमति एवं स्वकृति से दिनांक 22.07.2008 को बंटवारा किया जा चुका है जिसकी लिखावट सक्षम साक्ष्य की उपस्थिति में तहरीर कि हुयी है। मौके पर मुताबिक बंटवारा अलग अलग सीवं नीव कायम कर वादी एवं प्रतिवादी अलग अलग काबिज काश्त करते चले आ रहे है। विभाजन प्रस्ताव वर्तमान में मौके पर किये गये बंटवारा के अनुसार ही तैयार कर भिजवाया गया है तथा तहसीलदार महोदय ने बंटवारा प्रस्ताव से पूर्व आपतिकर्ता को जरिये नोटिस मौके पर उपस्थित रहने बाबत सुचित किया गया था तथा दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया गया था जिसमें विधिक रूप से कोई त्रुटी नहीं है। इसलिए आपतिकर्ता की आपति खारीज की जाकर मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्रि जारी किया जाना प्रार्थनीय है।

4 सुनी गयी उभयपक्ष बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं तहसीलदार दांतारामढ से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेश का अवलोकन किया। पत्रावली एवं बंटवारा प्रस्ताव के समग्र अवलोकन से प्रकट है कि प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव में प्रत्येक खातेदारान् अर्थात वादी एवं प्रतिवादी/आपत्तिकर्ता को उनके हक हिस्से एवं खातेदारी में दर्ज हिस्से के अनुपात

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

में पूर्ण भूमि बंटवारा प्रस्ताव में दी गयी है। बंटवारा प्रस्ताव के संलग्न नोटिसों से प्रकट है कि तहसीलदार दांतारामगढ द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व पक्षकारान को जरिये नोटिस सूचना दी गयी थी तथा विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट से यह भी प्रकट है कि मौके पर पक्षकारान ने विभाजन कर रखा है तथा मौके पर किये गये विभाजन के अनुसार ही बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया जाना प्रकट है। विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से यह प्रकट है कि पक्षकारों के मध्य खातेदारी में दर्ज हक हिस्सा एवं रकबा में कोई कमी बेसी नही की गयी है। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत बंटवारा की लिखावट से भी प्रकट है कि वादी एवं प्रतिवादी के मध्य दिनांक 22.07.2008 को बंटवारा किया जा चुका है एवं वकील वादी द्वारा दस्तावेज सूची के साथ प्रस्तुत वाद बउनवानी बनवारी बनाम रामेश्वर की फोटोप्रति की पैरा संख्या 2 के अवलोकन से यह तथ्य प्रकट है कि वादाधीन भूमियों पर वादी एवं प्रतिवादी अलग अलग काबिज काश्त है। इस प्रकार प्रस्तुत लिखावट बंटवारा एवं प्रस्तुत वाद की फोटोप्रति एवं तहसीलदार दांतारामगढ द्वारा तैयार कर भिजवाये गये बंटवारा प्रस्ताव से यह तथ्य साबित है कि मौके पर वादाधीन भूमियों का बंटवारा हो रखा है तथा मौके पर किये गये बंटवारें के मुताबिक ही बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। विधिक रूप से बंटवारा नियम 18 से 21 की पालना कर तहसीलदार दांतारामगढ द्वारा बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर ही भिजवाया गया है। वकील प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत आपति आवेदन में ऐसा कोई विधिक तथ्य प्रकट नहीं किया है जिस वजह से बंटवारा नियम 18 से 21 का उल्लंघन प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव में हुआ हो। इस कारण उपरोक्त विविचेन के परिपेक्ष्य में वकील प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत आपति बाबत बंटवारा प्रस्ताव खारीज कर मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के वाद अन्तिम रूप से डिक्रि किये जाने योग्य उचित प्रतित होता है। अतः प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत आपत्ति अस्वीकार कर खारिज की जाती है एवं प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार दांतारामगढ से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेश के मुताबिक वाद अन्तिम डिक्री किया जाता है व प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाता है कि वादी के बंटवारे में प्राप्त भूमि के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करने, सींव–नींव खुर्द बुर्द करने, पेड़ पौधे काटने से प्रतिबंधित रहे तथा प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस अंन्तिम डिक्री का भाग रहेगा। तहसीलदार दांतारामगढ़ को राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज कर पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर सें कम होकर बाद दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 05.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

5/7/22

(राजेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

अंतिम डिकी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

इजलास राजेश कुमार मीणा, आर.ए.एस

रामेश्वरलाल बनाम बनवारी आदि

दावा बाबत बंटवारा स्थायी निशेधाज्ञा व रिकार्ड दुरूस्ती

मुकदमा नं0 38 / दावा सन् 2016 निर्णय दिनांक 05.07.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू राजेश कुमार मीणा आर.ए.एस बहाजरी श्री नन्दलाल धायल व रतनलाल पलसानियां मिनजानिबमुद्दई व बहाजरी श्री भवानीसिंह शेखावत मिनजानिबमुद्दई पेश होकर हुकम दिया जाता है, कि तहसीलदार दांतारामगढ के पत्रांक 2021 / भू0अ0 / 1639 दिनांक 22.07.2021 के द्वारा ग्राम अहीर का बास प0ह0 रामगढ का बंटवारा स्कीम मय नक्शा ट्रेस प्राप्त होने पर अंतिम डिकी निम्न प्रकार से जारी की जाती है :–

क. सं.	खातेदार का नाम मय वल्दियत	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान रूपये में
1	रामेश्वर पुत्र रामदेवा जाति अहीर (यादव) सा.देह खातेदार राहिन P.N.B शाखा दांतारामगढ मूर्तहिन	403	0.01	गै.मु. चाह	–
		404	3.70	चाही 4	55.50
		36 / 2	1.75	बारानी 2	7.00
		किता 3	5.46		62.50
2	बनवारी पुत्र रामदेवा जाति अहीर (यादव) सा.देह खातेदार	242	1.86	बारानी 3	5.58
		396	1.68	बारानी 3	5.04
		36 / 1	1.92	बारानी 2	7.68
		किता–3	5.46		18.30

उपरोक्तानुसार अंतिम डिकी जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

बीज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूल याबी तक ... . को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 05.07.2022 को जारी की गई।

5/7/22

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

मोहर दस्तखत ओहदा

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्पअर्जीदावा	6	00	स्टाम्पवकालतनामा	1	00
स्टाम्पवकालतनामा	1	00	स्टाम्पअर्जी		
स्टाम्पवजहसबूत	—	—	मेहनतानावकील्पर ...		
मेहनतानावकील	—	—	खर्चागवाहान		
खर्चागवाहान	—	—	फीसकमिश्नर		
फीसकमिश्नर	—	—	बाबतइजराय हुक्मनामा		
बाबतइजराय हुक्मनामा	—	—	मुतफर्रिक	0	00
मुतफर्रिक	8	00		0	00
मीजान	15	00	मीजान	1	00

नोट: इस खर्च के फार्मपरकुल खर्चाहरदोफरीकेन का, चाहेडिकरी के जरियेदिलायागयाहो, या नहीं, दर्जकरनाचाहिए।

उपखण्ड अधिकारी दातारामगढ

(राजेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ